राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-454/एमएड/2001/1648 दिनांक: 16.07.01

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

दाऊदयाल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फीरोजाबाद-283203, उत्तर प्रदेश ने एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2001-2002 से प्रारंभ करने की मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 05.12.2000 को प्राप्त हुआ। संस्था के प्रस्तावित एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 02.05.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 31 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एमएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार निम्नांकित कमियां हैं तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. परिषद् मानदण्डानुसार शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टॉफ की कमी है।
2. चयन समिति के गठन की कमी है।
3. भवन के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष-1, हॉल-1, सेमीनार रूम-1, विशेष कक्ष-3, विभागाध्यक्ष कक्ष-1, पुस्तकालय कक्ष, संकाय कक्ष-2, स्टोर रूम-1, हॉस्टल की कमी है।
4. अक्षय निधि 3.00 लाख रुपये एवं सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है।
5. पुस्तकालय में 2,000 पुस्तकों की कमी है।
6. परिषद् मानदण्डानुसार फर्नीचर की कमी है।
7. खेल मैदान की कमी है।
8. मनोविज्ञान प्रयोगशाला सुसज्जित होने की कमी है।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-454/2001/929 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 25.05.2001 के द्वारा दिया गया था। संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **दाऊदयाल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फीरोजाबाद-283203, उत्तर प्रदेश** के प्रस्तावित एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. परिषद् मानदंडानुसार शैक्षिक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टॉफ की कमी है।
2. चयन समिति के गठन की कमी है।
3. भवन के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष 1, हॉल-1, सेमीनार रूम-1, विशेष कक्ष-3, विभागाध्यक्ष कक्ष-1, पुस्तकालय कक्ष, संकाय कक्ष-2, स्टोर रूम-1, हॉस्टल की कमी है।
4. अक्षय निधि 3.00 लाख रुपये एवं सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है।
5. पुस्तकालय में 2,000 पुस्तकों की कमी है।
6. परिषद् मानदंडानुसार फर्नीचर की कमी है।

C:\My Documents\Bansal.doc\C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org